न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–बलाना
पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 29/2010
दायरा तिथि 10.05.2010
निर्णय तिथि 30.05.2016

वादीनीः–
श्रीमती शान्ता पत्नी रमेशकुमारजी
जाति जाट निवासी जयपुर जरिए
मुख्त्यार आम मदनसिंह पुत्र वक्तावरसिंहजी
जाति राजपूत निवासी दुजाना तह.सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगणः–
1–गणेशशंकर पुत्र गुलाबशंकरजी
2–मुस्मात भाणुदेवी पत्नी गुलाबशंकरजी
3–गवरीशंकर पुत्र कपूरजी
जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण दुजाना तहसील सुमेरपुर
4–वगताराम पुत्र मगारामजी
5–छगनलाल पुत्र मगारामजी
6–श्रीमती मोरकी पत्नी मगारामजी
जातिगण मेणा निवासीगण बलाना तहसील सुमेरपुर
7–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTAct,1955
एवं सपठित धारा 136 RLRAct,1956

–: नि र्ण य :–

दिनांक 30.05.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–बलाना में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान अधिवक्तागण उपस्थित। लोक अदालत की भावना से कथित प्रकरण में हमने, पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित वाद–विषयक स्थिति के अनुसार वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति व सेटलमेंट विभाग की त्रुटियों का राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाये जाने हेतु इस आशय का वादपत्र पेश किया है कि ग्राम गुडिया व ग्राम बलाना की जहां सीमाऐ मिलती है वहां पर वादीनी ने सेटलमेंट से पूर्व ग्राम गुडिया पटवार सर्कल बलाना के गत् खसरा 28 रकबा 38)11 बीघा भूमि के खातेदार बलविन्द्रकौर पत्नी त्रिलोचनसिंह, सुरजीतकौर पत्नी विजेन्द्रसिंह व दलजीतसिंह पुत्र सिगारसिंह कौम जट सिक्ख से जरिए पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 19.09.1979 द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा इसी प्रकार ग्राम बलाना पटवार सर्कल बलाना के गत् खसरा नं. 669 रकबा 9)19 बीघा भूमि के खातेदार सुरजकौर पत्नी विजेन्द्रसिंह कौम सिक्ख से जरिए पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 19.09.1979 द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से वादीनी का उक्त खरीद सुदा खातेदारी कृषि भूमि कुल रकबा 49)10 बीघा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु सेटलमेंट विभाग की कार्यवाही के दौरान ग्राम गुडिया के गत् खसरा 28 रकबा 38)11 बीघा के नये खसरा नं. 33 रकबा 5.07 हेक्टर दर्ज किए जो उक्त रकबा 5.07 हेक्टर के अनुसार 31)15 बीघा ही बनता है, जबकि मौके पर वादीनी का भौतिक रूप से हाल खसरा नं. 33 रकबा 5.07 हेक्टर व हाल खसरा नं. 30 में से रकबा 0.60 हेक्टर अर्थात

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 5.67 हेक्टर पर कब्जा काश्त है। इसके अलावा उक्त भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ गै.मु.सडक में वादीनी की कुछ भूमि जाने से सिवायचक दर्ज हो गई है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 01 लगाय 03 व उनके मृतक रिश्तेदारों/सहखातेदार के नाम गलत रूप से दर्ज हुई भूमि खसरा नं. 30 रकबा 2.18 हेक्टर में से रकबा 0.60 हेक्टर पर वादीनी का वक्त खरीद से आज तक कब्जा काश्त रहा है जो क्षेत्रफल नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया हुआ है।

इसी प्रकार सेटलमेंट विभाग की कार्यवाही के दौरान ग्राम बलाना के गत् खसरा 669 रकबा 9)19 बीघा के नये खसरा नं. 1335 रकबा 1.16 हेक्टर दर्ज किए जो उक्त रकबा 1.16 हेक्टर के अनुसार 7)5 बीघा ही बनता है, अर्थात 2)14 बीघा जो लगभग 0.44 हेक्टर भूमि कम दर्ज की गई है, जबकि मौके पर वक्त खरीद से रकबा 9)19 बीघा पर वादीनी का भौतिक रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 04 लगाय 06 के नाम गलत रूपेण दर्ज हुई भूमि हाल खसरा नं. 1334 में से रकबा 0.44 हेक्टर पर वादीनी का वक्त खरीद से आज तक कब्जा काश्त रहा है जिस क्षेत्रफल को नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया हुआ है।

(2) कि उल्लेखित तथ्यों के आधार पर वादीनी ने कथित वादपत्र में यह भी निवेदन किया है कि सरहद मौजा गुडिया तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीनी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं. 33 के अडोअड स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 30 रकबा 2.18 हेक्टर में से वादग्रस्त रकबा 0.60 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम जो नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शित है जिसको सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिवश प्रतिवादी सं. 01 लगाय 03 व उनके मृतक रिश्तेदारों/सहखातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज कर दिया है, का सुधार करवाया जाकर एवं इसी प्रकार सरहद मौजा बलाना तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीनी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं. 1335 के अडोअड स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1334 में से वादग्रस्त रकबा 0.44 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम जो नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शित है जिसे सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिवश प्रतिवादी सं. 04 लगाय 06 के नाम गलत रूपेण दर्ज किया है, का सुधार करवाया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का वादीनी को बतौर खातेदार घोषित करके राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाये जाने एवं उक्त घोषित सुदा वादीनी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करावे। वादीनी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः ग्राम गुडिया की जमाबंदी संवत् 2065–68, ग्राम बलाना की जमाबंदी संवत् 2065–68, मिसल बंदोबस्त ग्राम बलाना व गुडिया, मिलान क्षेत्रफल ग्रामबलाना व गुडिया, ग्राम गुडिया पुरानी जमाबंदी संवत् 2027–30, ग्राम बलाना पुरानी जमाबंदी संवत् 2026–29, पंजीबद्ध दस्तावेजात–2 दिनांक 19.09.1979, पंजीबद्ध दस्तावेजात–3 दिनांक 30.05.1991, ट्रेस–नक्शे नये व पुराने ग्राम गुडिया व बलाना, नजरी नक्शे पुराने व नये व आम मुख्त्यारनामा इत्यादि की प्रतियां पेश की है।

(3) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। आदेश तालिका दिनांक 04.08.2011 के अनुसार प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं.04 लगाय 6 ने अपने अधिवक्ता के मार्फ़त प्रस्तुत किए गये जवाबदावा में जाहिर किया कि वादीनी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी सं.07 व पटवारी बलाना, भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ तथा सरकार पैरोकार ने प्रश्नगत् मामले में वर्णित वादग्रस्त भूमियों के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड की स्थिति बाबत् जांच रिपोर्ट व जवाब पेश किया जिसे रेकर्ड पर लिया गया। प्रश्नगत् मामले में वाद–विषयक स्थिति के तहत तनकियात बिन्दु सं.01 लगाय 06 कायम किए गये। शहादत वादीनीपक्ष में गवाह मदनसिंह पुत्र वक्तावरसिंह राजपूत निवासी दुजाना ने अपना तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश किया जिसे रेकर्ड पर लिया गया।

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

(4) कि चूंकि प्रश्नगत् मामले में प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है व प्रतिवादी सं.04 लगाय 6 ने अपने जवाबदावे में यह जाहिर किया है कि वादीनी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। इसलिए उक्त विधिक स्थिति में पत्रावली पर कायम किए गये तनकियात बिन्दुओं पर विवेचनाए स्पष्ट करना जहां तक आवश्यक प्रतीत नहीं होता है, इसके अलावा प्रश्नगत् पत्रावली पर उल्लेखित व उपलब्ध तमाम साक्ष्य दस्तावजात एवं प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही तथा प्रतिवादी सं.04 लगाय 6 द्वारा वादोत्तर में अभिव्यक्त की गई स्वीकारोक्ति पर मनन व विचारण करने के बाद हमने पाया है कि उपरोक्त आधार पर वादपत्र में वर्णित तमाम तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है और प्रश्नगत् मामले में लोक अदालत की भावना से विचारण पश्चात् हमारे विधिक मतानुसार वादीनी का तथाकथित वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त परिणाम स्वरूप वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा गुडिया तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीनी की पूर्व खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 33 के अडोअड स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 30 रकबा 2.18 हेक्टर में से वादग्रस्त रकबा 0.60 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम जो कि नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसको सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिवश प्रतिवादी सं. 01 लगाय 03 व उनके मृतक रिश्तेदारों/सहखातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज कर दिया है, को दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नं. 30 रकबा 2.18 हेक्टर में से वादग्रस्त रकबा 0.60 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम का वादीनी को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है एवं इसी प्रकार सरहद मौजा बलाना तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीनी की पूर्व खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1335 के अडोअड स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1334 में से वादग्रस्त रकबा 0.44 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम जो कि नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसे सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिवश प्रतिवादी सं. 04 लगाय 06 के नाम राजस्व रेकर्ड में गलत रूपेण दर्ज कर दिया है, को दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नं. 1334 में से वादग्रस्त रकबा 0.44 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम का वादीनी को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है, साथ ही वादीनी के नाम उपरोक्त घोषित सुदा खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का बलाना को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त पारित निर्णय/डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करे। ग्राम गुडिया व ग्राम बलाना के दोनों नजरी नक्शे इस निर्णय/डिक्री के अभिन्न भाग जाने जायेंगे। माफिक निर्णय डिक्री-पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय/डिक्री बरोज आज दिनांक 30.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-बलाना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner